247

354

III/निग०/रीवा/भू-रा०/2017/3165

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल सर्किट कोर्ट रीवा, जिला–रीवा म.प्र.

Rs 30/5

रेशू सिंह तनय हरिकरण सिंह उम्र 25 वर्ष, निवासी ग्राम दुलहरा, तह. सिरमौर, जिला– रीवा म.प्र. ——— निगरानीकर्ता

बनाम

आदित्य प्रताप सिंह तनय श्री मनबोध सिंह निवासी ग्राम दुलहरा, तह. सिरमौर, जिला– रीवा म.प्र. ———गैरनिगरानीकर्ता

आवेदक श्री रेशू सिंह द्वारा पेश/06.9.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर (सर्किट कोर्ट) रीवा

यह निगरानी न्यायालय श्रीमान तहसीलदार महोदय, राजस्व निरीक्षक के प्रकरण कमांक 31 अ –12/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.6.17 एवं सीमांकन कार्यवाही दिनांक 6.5.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू–राजस्व संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्न हैं:–

1– यह कि गैरनिगरानीकर्ता द्वारा आराजी नं. 990/1 क रकबा 0.121 हे. 990/1 ख रकबा 0.324 हे. स्थित ग्राम दुलहरा, तह. सिरमौर, जिला– रीवा म.प्र. के सीमांकन का आवेदन पत्र प्र. क. 31 अ 12/2016–17 प्रस्तुत किया था, जिसमें राजस्वनिरीक्षक द्वारा दिनांक 16.

रेशू सिंह

(247)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक III / निग0 / रीवा / भू–रा0 / 2017 / 3165 जिला–रीवा

रेशू सिंह / आदित्य प्रताप सिंह

(1)	(2)	(3)
24.04.19	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जयशंकर मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक, तहसील सिरमौर के प्रकरण क्रमांक 31 / अ–12 / 2016–17 में पारित आदेश दिनांक 16.06.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 15.07.19 को कलेक्टर, जिला रीवा के समक्ष उपस्थित हो। (बी.एम.शर्मा), सदस्य	